




दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश
10वाँ तल, इंदिरा भवन , अशोक मार्ग
लखनऊ ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रचार-प्रसार के लिए अनुदान हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण, वचाव, उपचार एवं पुनर्वासन योजना के अर्न्तगत स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के अर्न्तगत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाएं जो उपरोक्त योजना के अर्न्तगत पात्रता रखती हो अनुदान हेतु आवेदन कर सकती है। योजनान्तर्गत पात्र संस्थायें प्रस्ताव संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 30.06.2018 तक प्रस्तुत किए जाएंगे एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रस्ताव की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए दिनांक 31.07.2018 तक निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण उ0प्र0 इंदिरा भवन लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे। उक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव अनुदान समिति के समक्ष दिनांक 20.08.2018 को प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्त नियमावली के सम्बन्ध में विभाग की वेबसाइट www.uphwd.gov.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।